संख्या सा–3–664/दस–971/80

प्रेषक,

श्री जे० एल० बजाज,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 1983।

विषय:—डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की देर से अदायगी किये जाने पर ब्याज का भुगतान।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

सरकारी कर्मचारियों की सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाने पर अथवा सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन नियमों की व्यवस्था के अनुसार डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी देय होती है। विभिन्न कारणों से कई प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब हो जाता है और उन प्रकरणों में ग्रेच्युटी के भुगतान में अधिक विलम्ब हो जाने पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय लिया है कि मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के देय हो जाने के बाद तीन महीने से आगे की अवधि के लिये देर से अदायगी किये गये उपदान (ग्रेच्युटी) पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जायेगा। यह ब्याज उस महीने के पूर्ववर्ती महीने के अन्त तक देय होगा जिसमें वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है। यह ब्याज केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जायेगा जहां यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो कि ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक त्रुटि के कारण अथवा उन कारणों से हुआ है जो संबंधित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर थे। ब्याज के भुगतान के प्रत्येक मामले पर शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जायेगा और ब्याज का भुगतान शासन द्वारा ही प्राधिकृत किया जायेगा। जिन मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा उन सभी मामलों में विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी और उसके लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।

2—जिन मामलों में सेवानिवृत्ति के समय संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित होने अथवा चलाये जाने के कारण कार्यवाही के अपूर्ण रहने तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है और केवल अनन्तिम पेंशन दी जाती है, और उनमें यदि कार्यवाही के समाप्त हो जाने और अन्तिम निर्णय के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को ग्रेच्युटी लेने की अनुमति दे दी गई हो, तो उन मामलों में ग्रेच्युटी के भुगतान में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में ब्याज के भुगतान के प्रयोजन के लिये उपदान सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि से देय माना जायेगा, किन्तु जिनमें कर्मचारी कार्यवाही के परिणामस्वरूप पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है उनमें उक्त प्रयोजन हेतु सेवानिवृत्ति की तिथि से अगली तिथि को उपदान देय होने की तिथि माना जायेगा। यह लाभ ऐसे मामलों में कर्मचारियों को देय नहीं होगा जिनमें कर्मचारी की मृत्यु कार्यवाही के दौरान हो गई हो जिसके कारण कार्यवाही समाप्त कर दी जाये। ब्याज की गणना के लिये ऐसे मामलों में उपदान की देयता की तिथि से तीन मास बाद की अवधि विचार में ली जायेगी।

3—उक्त व्यवस्था इन आदेशों की तिथि से लागू मानी जायेगी। उक्त तिथि को प्रस्तर–1 के अन्तर्गत आने वाले लम्बित प्रकरणों को भी तदनुसार निर्णीत किया जायेगा। अर्थात् जो सरकारी कर्मचारी इस तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये अथवा जिनका निधन सेवा में रहते हो गया हो और यदि उपदान का भुगतान इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक नहीं किया गया है तथा उसके भुगतान में उनकी सेवानिवृत्ति/निधन की तारीख के तीन महीने से आगे देरी हुई है, तो उनमें विलम्बित भुगतान के लिये ब्याज देय होगा किन्तु वह ब्याज इस शासनादेश की तिथि से ही अथवा सेवा निवृत्ति/निधन की तारीख से तीन महीने बाद की तिथि से, जो भी बाद की हो, देय होगा।

4—कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय
जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव।

संख्या सा–3–664(1)/दस–971/80

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:––

(1) महालेखाकार, तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(2) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय ।

(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
बी० एल० शाह,
संयुक्त सचिव ।

पी०एम०यू०पी०--ए०पी० 8 सा० भाषा--17-5-83--(751)--1983--10,000(हि०) ।